



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(बैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्रमाणित)

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)

Website : www.hindivishwa.org

विद्या-परिषद की विशेष (42वीं) बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 25 जून, 2022 (शनिवार)
समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे
स्थान : महादेवी वर्मा सभागार
विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा

गांधी हिल परिसर





महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या-परिषद की विशेष (42वीं) बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक	:	25.06.2022 (शनिवार)
समय	:	पूर्वाह्न 10:30 बजे
स्थान	:	महादेवी वर्मा सभागार, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

मद सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	नव नियुक्त सदस्यों का स्वागत।	
1.	अध्यादेश क्रमांक 8, अध्यादेश क्रमांक 9, 11 और 12 में संशोधन।	1-3
2.	“भाषा साहित्य एवं संस्कृत केंद्रित पराविद्या उच्च शोध एवं ज्ञान सृजन केंद्र” एवं “वर्धा समाज कार्य संस्थान” की स्थापना के लिए निर्मित अध्यादेश।	
3.	मानव एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से अकादमिक विभागों का विद्यापीठ स्तर पर एकीकृत संचालन/प्रबंधन संबंधी प्रस्ताव।	4
4.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पाठ्यचर्या।	
5.	अकादमिक वर्ष 2022-23 के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (CUET) के अंतर्गत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से प्राप्त सूचना के अनुसार स्नातक कार्यक्रमों (UG) में प्रवेश के लिए प्राप्त प्रथम वरीयता वाले आवेदनों का विवरण।	
6.	अकादमिक वर्ष 2022-23 के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (CUET) के अंतर्गत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से प्राप्त सूचना के अनुसार परास्नातक कार्यक्रमों (PG) में प्रवेश के लिए प्राप्त प्रथम वरीयता वाले आवेदनों का विवरण।	5
7.	अकादमिक वर्ष 2022-23 से संचालित नियमित कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित शुल्क।	
8.	विश्वविद्यालय की Intake Capacity (प्रवेश क्षमता) के संबंध में विचार।	
9.	अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल, मुंबई के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत संगीत पाठ्यक्रमों का संचालन।	6
10.	विगत तीन वर्ष से पहले (वर्ष 2019 से पूर्व) के परीक्षाओं में प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं को Paper Shredder मशीन से नष्ट कर सामग्री पुनः उपयोग में लाने संबंधी प्रस्ताव।	
11.	सत्रांत परीक्षाओं के टेबुलेशन शीट को दो प्रतियों में रखना।	
12.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय	7-8